न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–93/20 (2020/00148) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–गोरधन पिता श्रीराम बलाई निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–नन्दराम पिता लालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 20.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि खातेदार गोरधन पिता श्रीराम बलाई निवासी नान्दशा एवं नन्दराम पिता लालु रेगर निवासी रायपुर एवं प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केमुणिया में स्थित आराजी नम्बर 1820 रकबा 1.08 है0 भूमि खातेदार है उक्त भूमि में प्रार्थी गण रायपुर से गंगापुर जाने वाली जाने वाली सड़क से जो आराजी नम्बर 1725 है से होता हुआ बिलानाम आराजी नम्बर 1818 में होकर सीधे अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1820 में प्रवेश करते है। आराजी नम्बर 1818 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिसे प्रार्थीगणो का आवागमन होता है प्रार्थी नियमानुसार राजकीय राशि जमा कराने को तैयार है। अतः रास्ता दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से पत्रावली पर अंकित किया प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का प्रयोग रास्ते के रूप में कर रहा है ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थीगण ग्राम केमुणिया कि आराजी नम्बर 1820 खातेदार गोरधन पिता श्रीराम बलाई निवासी नान्दशा एवं नन्दराम पिता लालु रेगर निवासी रायपुर एवं प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 1820 रकबा 1.08 है0 जो रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क से दक्षिण में स्थित है उक्त आराजी एंव आराजी नम्बर 1725 गे.मु. सड़क के मध्य आराजी नम्बर 1818 रकबा 1.08 है0 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जहां से प्रार्थी रास्ता चाहते है मौके पर प्रार्थीगण इसी आराजी में से होकर अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन कर रहे है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से रास्ता दर्ज कराना चाहते है प्रस्तावित रास्ते को नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसकी डीएलसी दर 4315 रूपये बनती है जिसका दुगुनी दर मुअवजा राशि 8630 रूपये राजकोष में जमा कराई जानी है। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाने में सहमति व्यक्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह खसरा नम्बर 1818 रास्ते के रूप मे ही होकर बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थीगण का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन होता है ऐसी स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 1818 रकबा 1.08 है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी नम्बर 1818 रकबा 1.08 है0 मे से 144 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 144 वर्गमीटर भूमि किमत किमत 4315 रूपये की दुगुनी राशि 8630 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.08.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—93 / 20 (2020 / 00148) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोरधन पिता श्रीराम बलाई निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नन्दराम पिता लालु रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 1818 रकबा 1.08 है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी नम्बर 1818 रकबा 1.08 है0 मे से 144 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 144 वर्गमीटर भूमि किमत किमत 4315 रूपये की दुगुनी राशि 8630 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 14:01:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: